



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012026-269547
CG-DL-E-23012026-269547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 286]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSA 30, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 314(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 किमी से 12.7 किमी के NH7 तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH7 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्यासि अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तराखण्ड	देहरादून	देहरादून	1 माजरा 2 बद्रीपुर

देहरादून	NH7 के कि.मी 0 से कि.मी 12.7 तक				3 सेवला खुर्द 4 मोहब्बेवाला 5 मोहकमपुर खुर्द 6 माजरीमाफी 7 कारगी ग्रांट 8 ब्राह्मणवाला 9 अजबपुर खुर्द 10 अजबपुर कलां 11 चकशाह नगर 12 चक सेवला खुर्द 13 शाहनगर
----------	---	--	--	--	---

[फ. सं. NHAI/DDN/BYPASS]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 314(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 12.7 of the NH7 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTARAKHAND

SCHEDEULE

Land acquisition on National Highway No. NH7 in the State of UTTARAKHAND

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SLAO, Dehradun	NH7 KM 0 TO KM 12.7	UTTARAKHAND	DEHRADUN	Dehradun	1 Majra 2 Badripur 3 Sevla Khurd 4 Mohabbewala 5 Mohakampur Khurd 6 Majari Mafi 7 Kargi grant 8 Brahamanwala 9 Ajabpur Khurd 10 Ajabpur Kala 11 Chakshah Nagar

[F. No. NHAI/DDN/BYPASS]
SAIKH AMINKHAN, Director